गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न अतिथिगृहों में कक्षों के आवंटन के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश

1. कक्षों का आवंटन पहले आओ–पहले पाओ (first come first serve basis) के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा।
2. आकस्मिक स्थिति/अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय में होने वाले सेमिनार/सिम्पोजियम/प्रशिक्षण आदि को छोड़कर कक्षों की बुकिंग मात्र दो माह पूर्व ही की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय में होने वाले सेमिनार/सिम्पोजियम/प्रशिक्षण आदि को छोड़कर कक्षों का आवंटन उपलब्धता के अनुसार मात्र तीन दिनों की अवधि के लिए ही किया जाएगा।
5. असुविधा से बचने हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व ई–मेल (pantnagarguesthouse@gmail.com) अथवा फैक्स (05944–233656) के माध्यम से कक्षों की बुकिंग कराना सुनिश्चित करें। मौखिक या दूरभाष पर प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. कृपया किसी भी असुविधा से बचने हेतु संलग्न प्रारूप (Annexure-I) पर ई–मेल/फैक्स प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. किसी आकस्मिक स्थिति में संबंधित छात्रावास अभिरक्षक/सहायक छात्रावास अभिरक्षक के लिखित आवेदन पत्र पर भी छात्र के परिजनों (माता–पिता एवं सगे भाई–बहन) को कक्ष आवंटित किया जाएगा।
8. ई–मेल/फैक्स प्राप्त होने के एक कार्यदिवस के भीतर आपको कक्ष बुकिंग स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की सूचना आपके ई–मेल/दूरभाष पर प्रेषित कर दी जाएगी।

आज्ञा से
मुख्य स्वागत अधिकारी